शोध मंथन, Vol. –VII, No. 2, 2016 ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

शोध मंथन

नारी अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं गाँधीजी के विचार–

डॉ0 आरती शर्मा*
असिस्टैंट प्रोफेसर
विभाग - इतिहास
कृषक, पी0जी0 कॉलेज, मवाना,मेरठ

गाँधीजी के विचार में नारी और पुरूश के पूर्णतः समान अधिकार हैं। हमारे देष की लगभग आधी जनसंख्या स्त्रीयों की अतः उनकी उन्नति के बिना भारत के उज्जवल भविश्य की कल्पना भी नही की जा सकती। गाँधीजी की दृश्टि में स्त्री और पुरूश एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर पूरक हैं। वे एक दूसरे के सक्रिय सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकते।[1]

पुरूश निर्मित व्यवस्था में स्त्री को निर्बल ही माना गया है। जो कि पुरूश की सहायता के बिना अपनी रक्षा और जीवन–यापन भी नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय नारी की प्रतिश्ठा, जीवन एवं अधिकारों में आमूल क्रांति लाने का सर्वाधिक श्रेय गाँधीजी को ही है। गाँधीजी ने भारतीय स्त्रियों को पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन में योग्य स्थान दिलानें में जो कर्म किया है वह किसी अन्य ने नहीं किया। गाँधीजी का कहना था कि निःस्वार्थ सेवा का निसर्गदत्त भावना के बारे में तो पुरूश कभी भी स्त्रीयों की बराबरी नहीं कर सकता।[2]

गाँधीजी कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होनें कहा है कि मै यह बर्दाष्त नहीं कर सकता कि जो कानूनी अधिकार पुरूश को प्राप्त हैं, उनसे नारी वंचित रहे।

गाँधीजी का कहना है कि षक्ति से उनका अभिप्राय नैतिक षक्ति से हैं तो नारी पुरूशों से कहीं अधिक श्रेश्ठ है। अद्धैतवादी परम्परा के अनुसार गॉधी जी कहते है कि स्त्री–पुरूश दोनों में उसी आत्मा का वास है, और दोनों का जीवन समान है। दोनों में समान भावनाएँ हैं। उनका कहना है कि समानता का संस्कार बचपन से ही प्रारम्भ होता है। वह कहते हैं कि मैं पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं समझता। मेरी दृश्टि में भेद करना द्वेश–बुद्धि का परिचायक है, और गलत है।[3]

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

वह मानतें थे कि षास्त्रों का षब्दषः पालन आवष्यक नहीं उनके अनुसार जब–जब षास्त्रों में विरोधी कथन पाये जाये उन्हें तर्क और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने पर ही स्वीकार करना चाहिए।[4] इस संदर्भ में मनुस्मृति के संबध कथन को गाँधी जी स्वीकार नहीं करते जिसमें कहा गया है कि ''स्त्रियाँ कभी स्वतंत्र नहीं'' उन्हें सदैव पुरूशों के अधीन रहना चाहिए। वो कहते है। कि हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है जिसमें न केवल सम्मान का भाव झलकता है बल्कि समानता तथा समकक्षता का भी बोध होता है।[5]

कानून के क्षेत्र में गाँधीजी नारी को पुरूश के समान ही अधिकार देने का समर्थन करते हैं। राजनीति, सम्पत्ति, विवाह, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में नारी को वे ही कानूनी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो पुरूश को प्रदान किय गये हैं। इसलिए गाँधीजी ने माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार को स्वीकार किया। वे वैवाहिक संबंध–विच्छेद के विशय में भी स्त्री और पुरूश को पूर्ण रूप से समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। उनका कथन है कि षिक्षा प्राप्त करने के अनुपात के अनुसार ही नारी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होती जायेगी और तब वह इस संबंध में अपने साथ होने वाले भेदभाव का दृढ़ता पूर्वक विरोध करेगी।[6]

गाँधीजी ने स्त्रियों में चेतना और आत्म विष्वास जागृत करने की दृश्टि में षिक्षा के महत्व पर आगह किया है। इसके लिए गाँधीजी भारत की राजनीति में नारी के सक्रिय भाग लेने को आवष्यक मानते थे। वे कहते हैं कि राजनीति में भाग लेकर स्त्रियां न केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सफल प्रयास कर सकती हैं, अपितु देष की राजनीति को भी षुद्ध तथा अंहिसात्मक बना सकती हैं। उन्होंने लिखा है कि नारी त्याग और कश्ट सहिश्णुता की सजीव प्रतिमा है। अतः सार्वजनिक जीवन में उसका प्रवेष राजनीति को षुद्ध बनाएगा और राजनीतिज्ञों की असीम महत्वकांक्षा तथा सम्पत्ति एकत्र करने की इच्छा को सीमित करेगा।[7]

गाँधीजी का दृढ़ विष्वास था कि अहिंसक समाज–व्यवस्था में ही नारी को चरम उत्कर्श के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे वातावरण में आत्मिक षक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक गुजांइश है। इस आत्मिक षक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक है–नारी! इसलिए पुरूश यदि युद्धों और संघशों को निर्माता है तो नारो षांति की दूत है। गाँधीजी का विष्वास था कि विष्व षांति की स्थापना में नारी का योगदान सर्वोपरि हो सकता है। नारी ही पुरूश को षांति की कला सीखा सकती है।

नारी की स्थिति के अर्न्तगत बाल–विवाह के बारे में गॉधी जी का विचार था कि बाल–विवाह से उन्हें घोर घृणा है।[8] बाल–विधवा के पुनः विवाह के पक्ष में गाँधीजी थे।[9] उनका संघर्श बाल–विवाह के उन्मूलन की ओर था। बाल–विवाह को वे एक अनैतिक और अमानवीय कृत्य मानते थे।[10]

गाँधीजी के विचार में दहेज प्रथा की कड़ी निन्दा की गई और कहा कि यह स्त्रियों को बेचन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं[11] अभिभावकों को वे सलाह देते थे कि यदि आवष्यकता हो तो दूसरे क्षेत्र तथा जाति के सुपात्र वर मिलने पर अपनी पुत्रीयों का विवाह कर देना चाहिए। जातिगत

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

रूढ़ियों में जकड़े हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु जाति–व्यवस्था में इस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन का प्रतिपादन निष्चय ही गाँधी की प्रगति षीलता एवं साहस का घोतक है।

अततः नारी के संबंध में गाँधीजी के विचारों तथा क्रियाकलापों को भिन्न–भिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। गाँधीजी समाज में प्रचलित व्यवस्था की दृश्टि से कई अवसरों पर परिवर्तन के अधिक निकट नजर आते हैं।

गाँधीवादी आन्दोलनों में नारी की सहभागिता के फलस्वरूप स्त्रियों में आत्मविष्वास विकसित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं उनके सषक्तिकरण की प्रक्रिया भी मजबूत हुई। महिलावादी लेखन में भी नारी के आत्म–विष्वास एवं घर–बाहर क कार्य–क्षेत्र की विभाजन–रेखा लाँधनें की प्रक्रिया को नारी के सषक्तिकरण की दृश्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।

सन्दर्भ सूची

1. *सलैक्षन्ज़ फ्राम गाँधी– (सम्पादक निर्मल कुमार बोस– पृश्ठ–27)*
2. *महात्मा गाँधी की जय– (श्री मन्नारायण–भवानी प्रसाद मिश्रा– सम्पादक–गॉधी षांति प्रतिश्ठान–नई दिल्ली)।*
3. *हरिजन– दिनांक 05.06.1937*
4. *हरिजन– दिनांक 28.11.1936, यंग इण्डिया, 24.03.1927*
5. *हरिजन– दिनांक 28.11.1936*
6. *हिन्दु धर्म, सम्पादक– भरतन कुमारप्पा– पृश्ठ–428*
7. *वही पृश्ठ–428*
8. *यंग इण्डिया– 21.07.1921*
9. *यंग इण्डिया– 219.08.1926*
10. *यंग इण्डिया– 27.08.1925*
11. *यंग इण्डिया– 27.12.1938– हरिजन 23.05.1936*